

3

56-12
2911

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BIHAR.
(CIVIL WRIT JURISDICTION).**

C W J C NO. OF 2015.

Sidheshwar Prasad ... Petitioner.

Versus.

The State Bihar and other... Respondents.

SUB: NON GAZETTED SALARY MATTER.

INDEX.

SL. NO.	PARTICULARS.	PAGES.
1.	Writ petition with Affidavit.	1 - 12
2.	Annexure 1. A Photo copy of the application dated 13.11.2002	13
3.	Annexure 2. Photo copy of the representation dated 16.06.2013	14 - 15
4.	Annexure 3 A Photo copy of the representation dated 29.09.2004	16 - 17

5.	Annexure 4 A Photo copy of the LPC issued on 31.01.2008	18-19
6.	Annexure 5. True / type copy of the LPC dated 15.07.2011.	20-21
7.	Annexure 6 A Photo copy of the Surrender Certificate	22
8.	Vakalatnama.	

aforesaid period and requested for payment of salary of those period.

29.09.2004 Thereafter petitioner was transferred from Ara Sadar Sub Division to Jagdishpur Sub Diviion and when the entries with regard to the non payment of salary for the period February 2002 to 18.10.2002 has not been included in his LPC, then he filed application on 29.09.2004 before the SDO Sadar Ara. In that very letter he has requested for payment of the due salary.

31.01.2008 The petitioner was transferred on 31.12.2004 in Madhubani and posted under jurisdiction of Phulparas S D O when the petitioner was posted on that place the salary

for August to December 2006 have not been paid to the petitioner. This fact will appear from the LPC issued from the SDO Phulparas Office.

15.07.2011 Thereafter the petitioner was transferred from Madhubani Madhepura District. He gave his joining in the office of S D O Udakishunganj. The LPC from the SDO Udakishunganj clearly indicate that the salary for certain period has not been paid.

16.06.2013 On 16.06.2003 again the petitioner filed application before the S D O Ara Sadar stating therein that his salary from month of February 2002 to 18.10.2002 may be paid.

12.09.2014 The petitioner was posted in Vaishali the payment of salary from

February 2012 to 12.09.2014 was dues whose detail have been given above. The Fund is available in the Mahnar Sub Division Office but they have not paid the said dues salary of the petitioner and they have surrendered the said amount to the government.

Hence writ application.

3. The Sub Divisional Officer, Sadar, Ara, Bhojpur.
4. The District Supply Officer, Madhubani,
Madhubani.
5. The Sub Divisional Officer, Phulparas, Madhubani.
6. The District Supply Officer, Madhepura.
7. The Sub Divisional Officer, Uda Kishunganj.
8. The District Supply Officer, Vaishali.
9. The Sub Divisional Officer, Mahnar, Vaishali.
10. The District Supply Officer, Nalanda at Bihar
Sharif.
11. The Sub Divisional Officer, Bihar Sharif, Nalanda.

Respondents.

To,

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, the
Chief Justice of the High Court of Judicature at

Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

Most respectfully sheweth:-

1. That this writ application is for issuance of a writ of mandamus, commanding the respondents to make payment of dues salary of the petitioner for the period details of which have been given below.
2. That the petitioner is citizen of India and resides within the jurisdiction of this Hon'ble Court.
3. That in the year 2002 petitioner was posted in Agion / Sahar Block in the District of Ara and salary for the month of February 2002 to 18.10.2002 has not been paid by the authority of the Ara District.

4. That when the petitioner did not get the salary for the aforesaid period, filed petition before the District Magistrate Ara on 13.11.2002 making a grievance with regard to non payment of the salary of the aforesaid period and requested for payment of salary of those period.

A Photo copy of the application dated 13.11.2002 is being annexed herewith and marked as Annexure 1 to this petition.

5. That the petitioner also filed application before the Sub Divisional Officer Sadar Ara who was the controlling authority of the petitioner on 06.09.2002 and 13.11.2012 making request in that, his dues salary may be paid immediately.

6. That on 16.06.2003 again the petitioner filed application before the S D O Ara Sadar stating therein that his salary from month of February 2002 to 18.10.2002 may be paid.

Photo copy of the representation dated 16.06.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure 2 to this petition.

7. That thereafter petitioner was transferred from Ara Sadar Sub Division to Jagdishpur Sub Diviion and when the entries with regard to the non payment of salary for the period February 2002 to 18.10.2002 has not been included in his LPC, then he filed application on 29.09.2004 before the SDO

Sadar Ara. In that very letter he has requested for payment of the due salary.

A Photo copy of the representation dated 29.09.2004 is being annexed herewith and marked as Annexure 3 to this petition.

8. That the petitioner was transferred on 31.12.2004 in Madhubani and posted under jurisdiction of Phulparas S D O when the petitioner was posted on that place the salary for August to December 2006 have not been paid to the petitioner. This fact will appear from the LPC issued from the SDO Phulparas Office.

A Photo copy of the LPC issued on 31.01.2008 is being annexed herewith

and marked as Annexure
4 to this petition.

9. That thereafter the petitioner was transferred from Madhubani Madhepura District. He gave his joining in the office of S D O Udakishunganj. The LPC from the SDO Udakishunganj clearly indicate that the salary for certain period has not been paid.

True / type copy of the
LPC dated 15.07.2011 is
annexed herewith and
marked as Annexure 5 to
this writ petition.

10. That petitioner was transferred to Vaishali District ~~in the year~~^{on} 20.06.2011 and he was posted in Mahnar as a marketing Officer in Sahdei Bujurg Block but his salary for the month of February 2012, December 2012,

January 2013, February 2013 May 2013 to 12.09.2014 has not been paid to the petitioner.

11. That the petitioner was transferred from Vaishali to Nalanda and joined on 17.09.2014 but the Salary from 13.04.2012 to December 2014 have not been paid and he is at present posted as marketing Officer in the Sarmera Block.
12. That when the petitioner was posted in Vaishali the payment of salary from February 2012 to 12.09.2014 was dues whose detail have been given above. The Fund is available in the Mahnar Sub Division Office but they have not paid the said dues salary of the petitioner and they have surrendered the said amount to the government.

A Photo copy of the Surrender Certificate is being annexed herewith and marked as Annexure 6 to this petition.

13. That thus the salary for the period February 2002 to 18.10.2002, when petitioner was posted in Agion Sadar Block under District Ara, August 2006 to December 2006, when the petitioner was posted in Phulparas Sub Division under Madhubani District and for the month February 2012, December 2012 January 2013 February 2013 May 2013 to December 2014 when the petitioner was posted in Mahnar Sub Division under Vaishali District are due without any reason known to the petitioner.

14. That inspite of several representations before the authority concern, no action is being taken for payment of due salary.
15. That the non payment of salary without any reason, shows the colourful exercise of power vested in respondent authorities.
16. That thus there is no any alternative and efficacious remedy before the petitioner except filing of this writ petition.
17. That the petitioner has not filed any writ petition earlier for the relief sought in this petition.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to direct the respondents authorities to pay the dues salary of the

petitioner stated in para
12 of this petition.

And/or

Pass such other order or
orders as Lordships may
deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT.

I, **Sidheshwar Prasad** aged about 59 years, son of Late Ram Murat Ram, resident of Anisabad, P.S. Phulwarisharif District Patna, at present posted as Marketing Officer in Sarmera Block, District Nalanda do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this writ application and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this Writ application and affidavit have been read over and explained to me in Hindi and I have understood the same.
3. That the statements as made in paragraph nos. 2,13,14 and 16 are true to my knowledge and the statement as made in paragraphs nos. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12^{and 17} are based on information derived from the records and rest are by way of submissions.
4. That the Annexures are true / photo copies of their respective originals.

सा है,

जिला पदाधिकारी,

भोजपुर, आरा ।

विषय:- वेतन भुगतान करने हेतु आदेश देने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में तद्विनय निवेदन के साथ कहना है कि मेरा वेतन माह फरवरी 2002 से आज तक का भुगतान नहीं होने से मैं और मेरा परिवार आर्थिक कठिनाईयों में जुड़ रहा है । पैसों के अभाव में न तो अपनी पत्नी का आपरेशन करा पा रहा हूँ, और न बच्चों की स्कूल फीस ही जमा कर पाया हूँ । वित्त दयनीय स्थिति का सामना कर रहा हूँ श्रीमान् के सहायण करना कठिन हो रहा है । मैं भी हार्निया तथा किडनी रोग से पहले से ही ग्रस्त हूँ । अस्थनीय पीड़ा लिये सरकारी कार्य करता था । दुर्भाग्यवश आज मैं निर्लम्बित हो गया हूँ । वेतन के लिए मैं कई बार मौखिक तथा लिखित भी अनुरोध अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से किया हूँ ।

टी

एक ओर 14 वर्षीय पुत्र का निधन, पत्नी का "यूटेरेस" में ट्यूमर हो जाना, अपनी शारीरिक पीड़ा और बच्चों की दयनीय स्थिति, तथा दूसरी ओर निर्लम्ब तथा अनाक्यक रूप से वेतन रुकना, ऐसी स्थिति में कितना मानसिक तैलमन स्थिर रखा सकता हूँ । चारों ओर से समय ने मेरे लिए संकट दिया है, ऐसी हालत में श्रीमान् का ही एक मात्र सहारा है ।

अतः श्रीमान् से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए तंबित वेतन का भुगतान करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय, ताकि शो, ही अपनी पत्नी का सफल आपरेशन कराते हुए परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं से उबर सकूँ । इस कार्य के लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा ।

श्रीमान् का विवाहसमाजन,

१०/१०/०२
॥ श्रीमान् प्रताप ॥

निर्लम्बित आपूर्ति निरीक्षक सहारा

दिनांक-13.11.2002.

सेवा में

अनुसूचित जाति अधिकारी,

सदर आरा।

विषय:- माह फरवरी 2002 से 18.10.2002 तक का वेतन मुआवजा के संबंध में।

प्रस्ताव,

उपर्युक्त विषय के संबंध में समित्य निवेदन के साथ कहना है कि मैं पूर्व में कई बार लगातार मौखिक और लिखित आवेदन देते हुए उक्त अवधि का वेतन मुआवजा हेतु अनुरोध करता आ रहा हूँ, परंतु बहुत दुःख के साथ कहना है कि श्रीमान् के द्वारा इस विषय में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की मानसिक, शारीरिक एवं पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे के अभाव में अपना तथा अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूँ। बच्चों की स्कूल फीस तथा अन्य व्यवस्थाओं में काफी कठिनाई होने लगी है। जीवन, व्यवस्था भी काफी व्यथित हो गयी है।

श्रीमान् को यह बात है कि दुर्भाग्यवश मैं निर्लंबित भी हो गया हूँ। ऐसी दिक्कत परिस्थिति में श्रीमान् ही एकमात्र सहारा है। इस संकट की घड़ी में कमी - कमी मानसिक रूप से झटकी उठाने पैदा हो जाती है कि मन में आत्महत्या कर लेने जैसे भी ख्याल आने लगते हैं।

व्यक्तिगत रूप से भी श्रीमान् जानते ही हैं कि मीज्जुर मे योगदान के साथ ही पुत्र का निर्धन हुआ और मुझ पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी भी इस आकस्मिक सदमा को झेल न सकी और बिमार रहने लगी। इसी बीमारी के दौरान उनका रक्तचाप भी निम्न हो गया तथा कुछ दिनों के बाद उनका पुटेरस का अपरेशन भी करवाना पड़ा। इन सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए पूर्व में भी कई बार लिखित आवेदन के साथ वेतन हेतु अनुरोध भी कर चुका हूँ। परंतु अब तक उक्त अवधि का वेतन मुआवजा नहीं किया गया। भ्रष्ट वेतन अनावश्यक रूप से अनुमति विवरणी के कारण रोका गया है जब कि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि अनुमति विवरणी स्वयं देनी है। अपने सारे अवधि का अनुमति विवरणी पूर्व में ही देता रहा था फिर भी भ्रष्ट वेतन मुआवजा नहीं किया गया जिसके कारण शुरू से अब तक विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है।

पुनः सरकार के आदेश की छाया प्रकट संलग्न करते हुए अनुरोध करता हूँ कि उक्त अवधि का वेतन मुआवजा करने हेतु अपने स्तर से सहयोग

- 2 -

शीघ्र आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय ताकि इस संकट की धड़ी में कुछ सहारा हो सके और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सामना कर सकें।

अब श्रीमान् आपका ही सहारा है तथा आशा भी है कि मुझे मानसिक रूप से और अधिक ग्रसित नहीं होने देना चाहेंगे तथा भरी पत्नी तथा बच्चों की खातिर जीवन बचाने की कृपा करेंगे।

इस कार्य के लिए श्रीमान् का सदा आभारी रहूंगा।

श्रीमान् का विश्वासी

2/10/2012
16/11/2012
श्रीमान् का विश्वासी

श्रीमान् का विश्वासी

आपूर्ति निरीक्षक, निलम्बित
प्रकृत - सहार

समृति, जिला आपूर्ति कार्यालय
भोजपुर, आरा।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचना दी
प्रेषित। श्रीमान् से अनुरोध है कि भरी उपरोक्त कठिनाइयों पर यथासंभव
मुझे विचार करते हुए अपने स्तर से भी अनुमंडल पदाधिकारी, भोजपुर, आरा
आरा को चेतन भुगतान हेतु अनुरोध पत्र देने की कृपा की जाय ताकि इस
संकट की धड़ी में अत्यंत आर्थिक सहारा हो सके।

2/10/2012
16/11/2012
आपूर्ति निरीक्षक (निलम्बित)
6212
आरा - जिला आपूर्ति कार्यालय
भोजपुर, आरा

श्रीमान्,

अनुमण्डल पदाधिकारी,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

विषय :- अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में तमी बकाया राशियों को झुगतान हेतु अंकित नहीं होने के तन्दर्भ में ।

महोदय,

अपर्युक्त विषय के तन्दर्भ में निवेदन के साथ कहना है कि दिनांक 4.8.2000 से दिनांक 18.10.2002 तक मैं आपूर्ति निरीक्षक के पद पर श्रीमान् के अधीन कार्यरत रहा । दिनांक 18.10.2002 तक मेरा स्थापना खदीय के यहाँ ही था । सुश्राव्यपत्र में दिनांक 19.10.2002 से दिनांक 12.1.2004 तक निर्लक्षित रहा । दिशान द्वारा मुझे दिनांक 13.1.2004 को निर्लक्षित से मुक्त किया गया और मैं दिनांक 15.1.2004 को जिला आपूर्ति कार्यालय में पुनः आपूर्ति निरीक्षक के पद पर योगदान दिया । जहाँ से मुझे जिला पदाधिकारी, भोजपुर के द्वारा दिनांक 93/दिनांक 12.2.2004 के द्वारा मेरा पदस्थापन जगदीशपुर प्रखण्ड के लिए किया गया । और उसी दिन उक्त प्रखण्ड में मैं आपूर्ति निरीक्षक के पद पर योगदान दिया ।

मैंने श्रीमान् के यहाँ दिनांक 26.2.2004 को अनुमण्डल पदाधिकारी, जगदीशपुर के नाम से तमी बकाया राशियों के साथ अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया । श्रीमान् के द्वारा दिनांक 23.03.2004 को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भेजा गया, जिसमें निम्नलिखित बकाया राशि को अंकित नहीं किया गया :-

1. माह फरवरी 2002 से दिनांक 18.10.2002 तक का वेतन झुगतान जो श्रीमान् के यहाँ से नहीं हुआ था जिसकी प्रविष्टि अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में अंकित नहीं किया गया। जिसके लिए मैंने विभिन्न तिथियों में आवेदन पत्र देते हुए अनुरोध करता रहा ।

2. दो वार्षिक वेतन वृद्धि होनी थी, इसका भी जिक्र अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में नहीं किया गया ।

29.09.09

19] अ संता ही नो बढोतरी हुई थी उते भी निर्मित अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में अंकित नहीं किया गया । जिसके कारण आज तक उक्त बकाया राशियों का मुक्तान मुझे नहीं हो पाया ।

इसी बीच जगदीशपुर प्रकण्ड में सरकार द्वारा नर पदाधिकारी की पदस्थापन हो जाने के कारण उन्हें प्रचार देकर मैं पुनः दिनांक 14.7.2004 को जिला आपूर्ति कार्यालय में शोषदान दिया । जहाँ से पदस्थापन की प्रतिष्ठा में हूँ ।

मैंने अनुमण्डल पदाधिकारी, जगदीशपुर से वेतन मुक्तान हेतु अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति पदाधिकारी, आरा भोजपुर के नाम से निर्मित करने का अनुरोध किया । अनुमण्डल पदाधिकारी, जगदीशपुर ने ^{आ.स. 511/9/1852} दिनांक 22.9.2004 के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भोजपुर आरा के नाम से अंतिम वेतन प्रमाण पत्र ~~केना है~~ निर्मित किया, जिसमें भी अंकित तीनों बिन्दुओं का वर्णन नहीं है । पृष्ठों पर बकाया राशि अंकित नहीं है, इसलिए जो तदर से प्रमाण पत्र आया है उसी के आधार पर यहाँ से भी वेतन ही प्रमाण पत्र केना गया है ।

पूर्व में भी मैं समय-समय पर लिखित आवेदन देते हुए स्थापना सहायक से सम्पर्क भी करता रहा परन्तु उनसे भी कोई सन्तुष्टि जबाब नहीं प्राप्त हो पाता था ।

ऐसी परिस्थिति में पुनः श्रीमान् के समक्ष आवेदन देते हुए यह अनुरोध करना है कि आवेदन पत्र में अंकित बकाया राशि की मुक्तान हेतु आदेश देने की कृपा की जाय । इस कार्य के लिए मैं श्रीमान् का तदा आभारी रहूँगा ।

विश्र्वात भाजन
Rajendra Singh
 22/9/2004
 सिद्धेश्वर प्रसाद
 आपूर्ति निरीक्षक
 जिला आपूर्ति कार्यालय, भोजपुर
 आरा ।

अनुसूची 53-आरम्भ सं० 195

की जानेवाली वसूलियों का व्योरा।

वसूली किस प्रकार की है - (1) इसे ~~अनुसूची 53 के अन्तर्गत~~ MOT-FSC-05 में प्रविष्टि 208004 (ई 2004) में की जाती है।

रकम - 89

(17) इसे दिनांक 14.5.08 परिसर प्रबंधन का वेतन प्रभाग में प्रविष्टि 208004 में किया गया है।

इस पर अधिकारी के वेतन से कटौती की गई है।

(18) इसे दिनांक 2006 के दिनांक 2006 में प्रविष्टि 208004 में किया गया है।

(19) इसे दिनांक 2006 के दिनांक 2006 में प्रविष्टि 208004 में किया गया है।

(20) इसे दिनांक 2006 के दिनांक 2006 में प्रविष्टि 208004 में किया गया है।

(21) इसे दिनांक 2006 के दिनांक 2006 में प्रविष्टि 208004 में किया गया है।

सकल रकम												
महीनों का नाम	वेतन मजदूरी, वार्षिकी या पेंशन	यह अवधि जिसके लिए सभ्य में उल्लिखित मद का मुगताम किया।		प्रकृत भत्ता या पाइल मुक्त स्टाफर का मूल्य		वेतन या मजदूरी, अग्रिम आदि के बदले या उसके अतिरिक्त मिलनेवाले बोनस, उपबन्धन फीस, कमीशन, पर्सनल या भत्ता अथवा लाभ। (इसेक का अलग अलग दिखाया जाय)		प्रविध निधि और अन्य निधियों से कटौती	जीवन बीमा प्रीमियम मटे कटौतियाँ	शुद्ध वेतन जिसपर का की गणना की गई है।	आयकर जिसकी कटौती की गई है।	अभिवृत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
अप्रैल 20												
मई												
जून												
जुलाई												
अगस्त												
सितम्बर												
अक्टूबर												
नवम्बर												
दिसम्बर												
जनवरी												
फरवरी												
मार्च												

1082-2

15-7-11

युक्ति:

अनुसूची 53 के अन्तर्गत प्रविष्टि 208004 में प्रविष्टि 208004 में किया गया है।

15/7/11

वैशाली समाह्रणालय, हाजीपुर
(जिला आपूर्ति प्रशाखा)

पत्रांक - 1-1/13 397 जिला आपूर्ति दिनांक - 21/5/14
प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
वैशाली।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
महनार।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक - 595 दिनांक - 31/03/2014 द्वारा शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में वेतनादि मद में कुल 5,36,282/- (पाँच लाख छत्तीस हजार दो सौ बेरासी) रुपया प्रत्यार्पण किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि आपके अनुमंडल में आपूर्ति अन्तर्गत वेतनादि मद में राशि की आवश्यकता नहीं है। अगर दिनांक - 31/03/2014 से एक सप्ताह पूर्व उक्त राशि प्रत्यार्पित की जाती तो जिले के अन्य अनुमंडल को उपाबंधित कर उक्त राशि को व्यवहार में लाया जा सकता था।

अतः जिला पदाधिकारी, वैशाली का आदेश दिनांक - 31/03/2014 के आलोक में तीन दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए ताकि वस्तुस्थिति से जिला पदाधिकारी महोदय को अवगत कराया जा सके।

विश्वासभाजन

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
वैशाली।

2/5/14

अराजपत्रित सरकारी सेवकों के अंतिम वेतन-प्रमाणपत्र का फारम

श्री श्री दिनेश प्रसाद शर्मा (पदाधिकारी) का अंतिम वेतन प्रमाणपत्र

पदाधिकारी (अवर सहायक प्रमुख) का पद ग्रहण करने के लिए
के रूप में स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए
का कर्तव्य-निष्ठा करने * जा रहे हैं।

इन्होंने तारीख 31.5.2011 तक श्री 16650-1 के रूप में प्रतिमास वेतन पर काम किया और श्री 1042-1 के रूप में प्रतिमास वेतन पर काम किया। इससे की गई कटौतियाँ नीचे दिखाई गई हैं।

इन्होंने ता० 15.4.2011 के पूर्व/अपराह्न में अपना कार्य भार सौंप दिया। इस पदाधिकारी के वेतन से कोई भी वसूली नहीं * करनी है।
पीठ पर लिखी वसूली

2. चारू वर्ष के आरंभ से आज तक इनके वेतन से वसूले गये आयकर का बीरा पीठ पर दिया गया है।

स्थान उदर सहायक प्रमुख (मध्य)
ता० 15.4.2011

जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है उस कार्यालय के प्रधान का नाम और पदनाम।
15.4.11

* अनपेक्षित शब्द कलम से काट दें।

इसे वह कार्यालय भरेगा जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है।

श्री _____ वे इस कार्यालय में तारीख _____ 20 _____ के पूर्व/अपराह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया और मेरे कार्यालय में ये जिस पद पर आये हैं, उसका वेतन _____ ₹० है।

स्थान _____
ता० _____

जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है उस कार्यालय के प्रधान का नाम और पदनाम।

- टिप्पणी :
1. अंतिम वेतन-प्रमाणपत्र इस प्रथम बिल के साथ अवश्य अनुलग्न रहे जिसमें स्थानान्तरित व्यक्ति का नाम हो।
 2. अराजपत्रित सरकारी सेवकों का अंतिम वेतन-प्रमाणपत्र उस कार्यालय का प्रधान देगा जिस कार्यालय को अराजपत्रित सरकारी सेवक छोड़ रहा हो, न कि कोषागार-पदाधिकारी और जब पदाधिकारी किसी दूसरे प्रेसीडेंसी या राज्य में स्थानान्तरित किया जाए तब ऐसे अंतिम वेतन-प्रमाणपत्र पर महालेखाकार के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यदि वह पदाधिकारी सार्वजनिक सुविधा से भिन्न कारणों से स्थानान्तरित किया जा रहा हो, तो यह बात लिख दी जाए।

अराजपत्रित सरकारी सेवकों के अंतिम वेतन-प्रमाणपत्र का प्रपत्र

श्री विश्वेश्वर प्रताप का अंतिम वेतन प्रमाणपत्र
 जो प्रधानापीठ का पद ग्रहण करने के लिए
 के रूप में स्थानापत्र रूप से काम करने के लिए * जा रहे है।
 का कर्तव्य-ग्रहण करने

इन्होंने तारीख जून 2007 तक वेतन 6950 = 4
 से वेतन और 32115 = 1 के रूप में प्रतिमाह 3649 = 1 की दर
 भत्ता लिया है। इससे की गई कटौतियाँ नीचे दिखाई गई है।
32115 - 3649 = 31466
31466 - 521 = 31945
31945 - 41695 = 1

इन्होंने ता० 25-07-2007 के पूर्वाह्न/अपराह्न में अपना कार्यभार सौंप दिया। इसे पदाधिकारी के वेतन से कोई भी वसूली नहीं करनी है।
 पीठ पर लिखी वसूली

2. चालू वर्ष के आरंभ से आज तक इनके वेतन से वसूले गये गये आयकर का ब्योरा पीठ पर दिया गया है।

स्थान <u>5/25/21/1</u>	जिस कार्यालय में पिछली बार इनके वेतन की निकासी हुई उस कार्यालय के प्रधान का नाम और पदनाम।
ता० <u>31-01-2008</u>	

* अनेपेक्षित शब्द कलम से काट दें

इसे वह कार्यालय भरेगा जिसे कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है।

श्री/श्रीमती विश्वेश्वर प्रताप वे इस कार्यालय में तारीख 20 के पूर्वाह्न/अपराह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया और भरे कार्यालय में ये जिस पद पर आये है, उसका वेतन रु० है।

स्थान	जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है उस कार्यालय के प्रधान का नाम और पदनाम।
ता०	

- टिप्पणी : 1. अंतिम वेतन-प्रमाणपत्र इस प्रथम बिल के साथ अवश्य अनुलग्न रहे जिसमें स्थानान्तरित व्यक्ति का नाम हो।
 2. अराजपत्रित सरकारी सेवकों का अंतिम वेतन-प्रमाणपत्र उस कार्यालय का प्रधान देगा जिस कार्यालय को अराजपत्रित सहकारी सेवक छोड़ रहा हो, न कि कोषागार-दाधिकारी और जब पदाधिकारी किसी दूसरे प्रेसीडेन्सी या राज्य में स्थानान्तरित किया जाए तब ऐसे अंतिम वेतन-प्रमाणपत्र महालेखाकार के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यदि वह पदाधिकारी सार्वजनिक सुविधा से भिन्न कारणों से स्थानान्तरित किया जा रहा हो, तो यह बात लिख दी जाए।